सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2022/432 दर्ज तिथिः– 19.10.2022

1. कानाराम पुत्र नवलाराम
2. पेमाराम पुत्र नवलाराम
3. मिरगो देवी पत्नी नवलाराम
   जाति जाट निवासी बटेरों की बेरी खारडी बेरी तहसील नोखडा

.....वादी

बनाम

1. सवाई पुत्र अनाराम
2. सुरजीत पुत्र अनाराम
3. विमला पत्नी अनाराम
4. सीता पुत्री अनाराम
5. राजी पुत्री अनाराम
   जाति जाट निवासी बटेरों की ढाणी खारडी बेरी तहसील नोखडा
6. तहसीलदार नोखडा।

.....प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री जोगराज पोटलिया
प्रतिवादीः– एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–10.03.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा–88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वाद पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी ने निवेदन किया गयाः–
   - कि वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक व संयुक्त खातेदारी आराजी खसरा संख्या 255 रकबा 16–06 बीघा मौजा आडेल, खसरा संख्या 271 रकबा 52–17 बीघा मौजा सारणों का तला, खसरा संख्या 252 रकबा 120–05 बीघा, खसरा संख्या 461/2 रकबा 03–13 बीघा ग्राम बटेरों की बेरी व खसरा संख्या 454 रकबा 0–06 बीघा, 455 रकबा 17–13 बीघा, 460 रकबा 0–03

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.23 20:47:11 IST
Reason: SelfAttested

बीघा, 461 रकबा 10–03 बीघा, 464 रकबा 0–04 बीघा व 464 रकबा 23–18 बीघा मौजा बटेरों की बेरी पटवार मंडल आडेल व धोलानाडा तहसील नौखड़ा में दर्ज रिकॉर्ड थे।

- कि उक्त मूल खसरों का अन्य संयुक्त खातेदारों व वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन होने के कारण वर्तमान में वादी व प्रतिवादी की संयुक्त खातेदारी आराजी खसरा संख्या 395/255/1.6655 है0 मौजा आडेल, खसरा संख्या 424/271/4.7084 है0 मौजा सारणो का तला, खसरा संख्या 671/252/0.6472 है0 मौजा खारड़ी बेरी व खसरा संख्या 454/0.0486 है0, 455/2.8571 है0 मौजा बटेरों की बेरी तहसील नौखड़ा में अवस्थित है।
- कि वादीगण व प्रतिवादीगण का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार हैः–

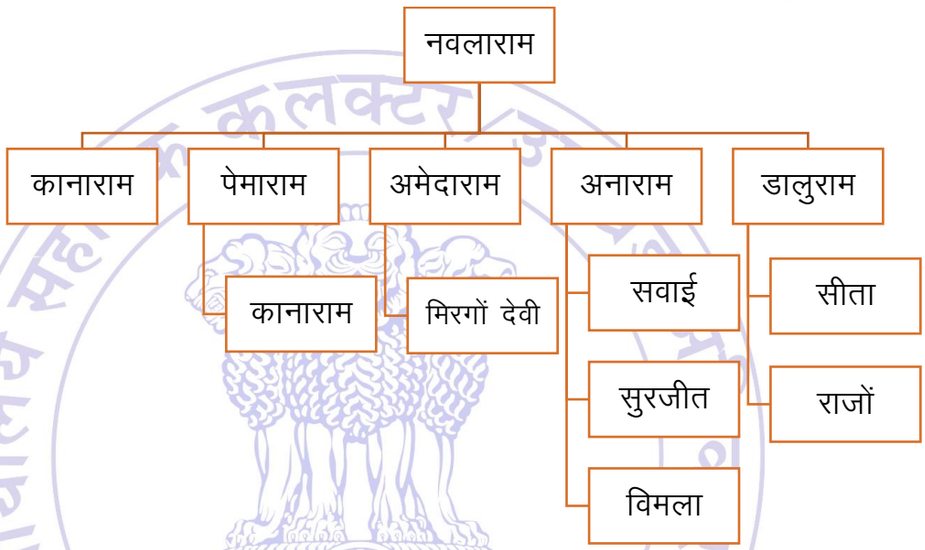

- उक्त खसरों का विभाजन का दावा बउनवान टीकमाराम बनाम रावताराम दावा संख्या 222/2016 का हाजा न्यायालय से निर्णय दिनांक 16.09.2020 को निर्णय पारित किया गया।
- कि टीकमाराम बनाम रावताराम के विभाजन के दावा के चलते प्रतिवादी खातेदार अमेदाराम बनाम नवलाराम के लाऔलाद फौत होने के कारण अमेदाराम की माता मिरगों देवी पत्नी नवलाराम के नाम विरासत का नामांतरकरण दर्ज किया गया।
- प्रकरण में मुतनाजा आराजी में अनाराम वल्द नवलाराम का 1/5 हिस्सा, डालुराम वल्द नवलाराम का 1/5 हिस्सा, कानाराम वल्द नवलाराम का 1/5 हिस्सा, पेमाराम वल्द नवलाराम का 1/5 हिस्सा व मिरगो देवी पत्नी नवलाराम का 1/5 हिस्सा निहित था। मूल आराजी मिरगों देवी ने अपना संपूर्ण 1/20 हिस्सा हकत्याग पत्र दिनांक 23.06.2012 तथा पेमाराम ने अपना संपूर्ण हिस्सा 1/20 हिस्सा हकत्याग पत्र दिनांक 03.01.2012 द्वारा कानाराम वल्द नवलाराम के पक्ष में हकत्याग कर दिया। उक्त हकत्याग के पश्चात मुतनाजा आराजी में अनाराम वल्द नवलाराम का 1/5 हिस्सा, डालुराम वल्द नवलाराम का 1/5 हिस्सा, कानाराम वल्द नवलाराम का 3/5 हिस्सा निहित हो गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.23 20:47:11 IST
Reason: SelfAttested

- परंतु उक्त हकत्याग का नामांतरकरण संख्या 700 व 715 मौजा आडेल, नामांतरकरण संख्या 108 मौजा खारडी बेरी व नामांतरकरण संख्या 76 मौजा सारणों का तला द्वारा सही इन्द्राज नहीं किया गया है। इस कारण वर्तमान जमाबंदी में उक्त हकत्याग अनुसार हिस्से अंकित नहीं है। इससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
- अतः उक्त मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 395/255/1.6655 है0 मौजा आडेल, खसरा संख्या 424/271/4.7084 है0 मौजा सारणो का तला, खसरा संख्या 671/252/0.6472 है0 मौजा खारड़ी बेरी तहसील नौखड़ा पर अनाराम वल्द नवलाराम के वारिसों का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा, डालुराम वल्द नवलाराम के वारिसों का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा, कानाराम वल्द नवलाराम का 3/5 हिस्सा घोषित किया जावें।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में सभी प्रतिवादीगण के बावजूद रजिस्टर्ड तामिल अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विवाद का कोई बिन्दु पत्रावली पर नहीं होने के कारण प्रकरण का प्रथम सुनवाई पर निर्णय किया जाना उचित प्रतीत होता है।

3. पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 395/255/1.6655 है0 मौजा आडेल, खसरा संख्या 424/271/4.7084 है0 मौजा सारणो का तला, खसरा संख्या 671/252/0.6472 है0 मौजा खारड़ी बेरी तहसील नौखड़ा पर अनाराम वल्द नवलाराम के वारिसों का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा, डालुराम वल्द नवलाराम के वारिसों का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा, कानाराम वल्द नवलाराम का 3/5 हिस्सा घोषित किया जाने का निवेदन किया।

4. मैनें विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रदर्श–01 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान जमाबंदी में हकत्यागकर्ता पेमाराम पुत्र नवलाराम का हिस्सा अभी भी दर्ज रिकॉर्ड है। साथ ही प्रतिवादीगण का हिस्सा वादी द्वारा चाहे गए हिस्से से ज्यादा दर्ज रिकॉर्ड है। प्रकरण में प्रदर्श–02ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि पेमाराम वल्द नवलाराम ने मुतनाजा आराजी में से अपना संपूर्ण हिस्सा कानाराम वल्द नवलाराम के पक्ष में हकत्याग कर दिया है। साथ ही प्रकरण में प्रदर्श–03ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि मिरगो देवी पत्नी नवलाराम ने मुतनाजा आराजी में से अपना संपूर्ण हिस्सा कानाराम वल्द नवलाराम के पक्ष में हकत्याग कर दिया है। प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा वादी के दावे का कोई खंडन नहीं किया है। उपरोक्त आधार पर वादी का दावा दस्तावेज के आधार पर साबित प्रतीत होता है।

5. इस प्रकार मुतनाजा आराजी पर अनाराम वल्द नवलाराम का 1/5 हिस्सा, डालुराम वल्द नवलाराम का 1/5 हिस्सा, कानाराम वल्द नवलाराम का 1/5 हिस्सा, पेमाराम वल्द नवलाराम का 1/5 हिस्सा व मिरगो देवी पत्नी नवलाराम का 1/5 हिस्सा निहित होना चाहिए था। साथ ही मूल आराजी मिरगों देवी ने अपना संपूर्ण 1/20

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.23 20:47:11 IST
Reason: SelfAttested

हिस्सा हकत्याग पत्र दिनांक 23.06.2012 तथा पेमाराम ने अपना संपूर्ण हिस्सा 1/20 हिस्सा हकत्याग पत्र दिनांक 03.01.2012 द्वारा कानाराम वल्द नवलाराम के पक्ष में हकत्याग कर दिया। उक्त हकत्याग के पश्चात मुतनाजा आराजी में अनाराम वल्द नवलाराम का 1/5 हिस्सा, डालुराम वल्द नवलाराम का 1/5 हिस्सा, कानाराम वल्द नवलाराम का 3/5 हिस्सा निहित था। परंतु हाल राजस्व रिकॉर्ड में हिस्सा गलत दर्ज प्रतीत होता है। इस प्रकार वादीगण अपना प्रकरण साबित करने में सफल रहे है।

6. इस प्रकार स्पष्ट है कि मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 395/255/1.6655 है0 मौजा आडेल, खसरा संख्या 424/271/4.7084 है0 मौजा सारणो का तला, खसरा संख्या 671/252/0.6472 है0 मौजा खारड़ी बेरी तहसील नौखड़ा पर अनाराम वल्द नवलाराम के वारिसों का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा, डालुराम वल्द नवलाराम के वारिसों का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा, कानाराम वल्द नवलाराम का 3/5 हिस्सा घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

वादी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। वादी को मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 395/255/1.6655 है0 मौजा आडेल, खसरा संख्या 424/271/4.7084 है0 मौजा सारणो का तला, खसरा संख्या 671/252/0.6472 है0 मौजा खारड़ी बेरी तहसील नौखड़ा पर अनाराम वल्द नवलाराम के वारिसों का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा, डालुराम वल्द नवलाराम के वारिसों का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा, कानाराम वल्द नवलाराम का 3/5 हिस्सा घोषित किया जाकर संयुक्त खातेदार दर्ज होने बाबत् राजस्व इंद्राज दुरुस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है।

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

आज 10.03.2025 यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.23 20:47:11 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2022/346 दर्ज तिथिः– 14.10.2022

1. कानाराम पुत्र नवलाराम
2. पेमाराम पुत्र नवलाराम
3. मिरगो देवी पत्नी नवलाराम
   जाति जाट निवासी बटेरों की बेरी खारडी बेरी तहसील नोखडा

.....वादी

बनाम

1. सवाई पुत्र अनाराम
2. सुरजीत पुत्र अनाराम
3. विमला पत्नी अनाराम
4. सीता पुत्री डालूराम
5. राजी पुत्री डालूराम
   जाति जाट निवासी बटेरों की ढाणी खारडी बेरी तहसील नोखडा
6. तहसीलदार नोखडा।

.....प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री जोगराज पोटलिया
प्रतिवादीः– एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

–:पर्चा डिक्रीः–

वादी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। वादी को मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 395/255/1.6655 है0 मौजा आडेल, खसरा संख्या 424/271/4.7084 है0 मौजा सारणो का तला, खसरा संख्या 671/252/0.6472 है0 मौजा खारड़ी बेरी तहसील नौखड़ा पर अनाराम वल्द नवलाराम के वारिसों का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा, डालुराम वल्द नवलाराम के वारिसों का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा, कानाराम वल्द नवलाराम का 3/5 हिस्सा

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.23 20:47:11 IST
Reason: SelfAttested

घोषित किया जाकर संयुक्त खातेदार दर्ज होने बाबत् राजस्व इंद्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है।

यह पर्चा–डिक्री पालनार्थ हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवाई जावें। आदेश जारी हो। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा–डिक्री आज दिनांक 10.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.23 20:47:11 IST
Reason: SelfAttested